संख्या-2/2026/795/42-01099-122-2026

प्रेषक,

कुमार विनीत,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 28 जुलाई, 2026**

विषय:- जनपद जौनपुर के इन्दिरा गांधी स्टेडियम में सिन्थेटिक बास्केटबाल कोर्ट एवं गार्डरूम निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1/525629/2026, दिनांक 28.03.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद जौनपुर के इन्दिरा गांधी स्टेडियम में सिन्थेटिक बास्केटबाल कोर्ट एवं गार्डरूम निर्माण कार्य हेतु नामित कार्यदायी संस्था- यू०पी० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि० द्वारा प्रस्तुत आगणन रू० 133.08 लाख का मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं औचित्य का परीक्षण करते हुए जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा आंकलित/अनुमोदित लागत रू० 133.08 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उक्त के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष-2026-27 के बजट में अनुदान संख्या-22 के लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-87- खेल एवं खेल से संबंधित कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिये-24-वृहत निर्माण कार्य " मद में व्यवस्थित धनराशि रू० 2000.00 लाख में से परियोजना की सम्पूर्ण देय धनराशि रू० 1,33,08,000/- (रूपये एक करोड़ तैंतीस लाख आठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि रू० 1,33,08,000/- (रूपये एक करोड़ तैंतीस लाख आठ हजार मात्र) निदेशक खेल द्वारा कोषागार से आहरित कर वित्त (वित्त-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231-2026, दिनांक 28.03.2026 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कार्यदायी संस्था- यू०पी० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि० को आवश्यकतानुसार धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2026-27 में उपलब्ध बजट के अन्तर्गत दी जा रही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा, जिससे टाइम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।

(3) कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(4) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों एवं मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था / निदेशक, खेल का होगा ।

(5) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।

(6) प्रायोजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(7) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विवरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, खेल द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(8) वित्त (वित्त-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231-2026, दिनांक 28.03.2026 में निहित व्यवस्थानुसार कार्यदायी संस्था को आवश्यकतानुसार धनराशि निर्गत/व्यय की जायेगी।

(9) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

(10) कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था की होगी तथा निदेशक, खेल यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा ।

(11) निदेशक, खेल द्वारा समय-समय पर कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए गुणवत्तापरक कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

(12) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(13) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य / मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य / मद में किया जायेगा।

(14) निदेशक, खेल द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(15) कार्यदायी संस्था द्वारा लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

(17) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन /कास्ट ओवर रन न हो इस हेतु शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (vii) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(18) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी०एस०टी० की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। निदेशक, खेल / कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्य मदों में जी०एस०टी० सम्मिलित न हो।

(19) जी०एस०टी० की शुद्धता का उत्तरदायित्व निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था का होगा।

(20) वित्त (वित्त-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231-2026, दिनांक 28.03.2026 का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(21) निदेशक, खेल द्वारा कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी, जौनपुर द्वारा प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त प्राप्त करते हुए उसका परीक्षणोपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित करते हुए शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(22) उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विवरावृत्ति न हो इसे निदेशक, खेल अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे।

(23) विभिन्न भवन निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट (TPQA) हेतु मानक संचालन प्रक्रिया के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-2/2026/ए-2-आई/1172817/2025/दस-2025 दिनांक 02.01.2026 का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त शासनादेश के क्रम में शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- I/1405006/2026, दिनांक 22.07.2026 में दिये गये दिशा-निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 1,33,08,000 (रूपये एक करोड़ तैंतीस लाख आठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 022 लेखा शीर्षक 4202038008700 खेल एवं खेल से संबंधित कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिय मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत् प्रातिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

कुमार विनीत
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>संख्या-2/2026/795/42-01099-122-2026, तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार उ०प्र० (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ०प्र० प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम /द्वितीय उ०प्र० प्रयागराज।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- जिलाधिकारी, जौनपुर।

5- क्रीड़ाधिकारी, जौनपुर।

6- प्रबन्ध निदेशक, यू०पी० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि०, लखनऊ।

7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 उ०प्र० शासन।

8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5 उ०प्र० शासन।

9- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

कुमार विनीत

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।